# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
**Email id-**ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 **(0135)** -2713724 फोन नं0**(0135)**

संख्या 266 /XXV–12 (P-14) /2021 देहरादूनः दिनांक 23फरवरी, 2026

सेवा में,

पंजीकृत

श्री ऐ/सी अब्बास,
पुत्र अनिस
ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर
पोस्ट बाहदराबाद तहसील ज्वालापुर
जिला हरिद्वार।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड रिंग रोड देहरादून के पत्र संख्या 3703/रा0नि0आ0/आर0टी0आई0/3050–1/2021 दिनांक 13 फरवरी, 2026 के साथ संलग्न आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2026 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) केद्वारा इस कार्यालय में दिनांक 16.02.20206 को प्राप्त हुआ है। आपके वर्णित पत्र के क्रम में इस कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

1– बिन्दु संख्या–01 निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अन्तर्गत है। राज्य सरकार के द्वारा वेतन दी जाती है।

2– बिन्दु संख्या–02 से सम्बन्धित सूचना 02 पृष्ठ संलग्न है।

3– बिन्दु संख्या–03 एवं 04 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

4– बिन्दु संख्या–05 से सम्बन्धित सूचना 01 पृष्ठ संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त प्रदान करवायी जा रही सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय,

**अपीलीय अधिकारी का पता**
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0नं0–9897995591

Digitally signed by BASANT SINGH RAWAT
Date: 20-02-2026 13:18:26

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

* * **13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया—** [1]* * *

(3) [2]***धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए प्रस्ताव पर करे।

[3][भाग 2क

आफिसर

**13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर**—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर गा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर**—(1)[5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा:

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं।

**13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर**—(1)[6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

1. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया।
2. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
3. 1956 के अधिनियम स॰ 2 की धारा 9 द्वारा (1-3-1956 से) अंत:स्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंत:स्थापित।
5. 2004 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 2 द्वारा (29-10-2003 से) "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया।
6. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सत्यापित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

**13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर**—(1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना**—इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

## भाग 2ख

## संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां**—(1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा:

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो टयूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

## भाग 3

[3][4* * * **निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां**]

[5][**14. परिभाषाएं—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,**—

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; 4* * *

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है:]

1. 1989 के अधिनियम सं॰ 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं॰ 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 10 द्वारा (1-3-1956 से) "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं॰ 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं॰ 2 की धारा 11 द्वारा (1-3-1956 से) धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 2021 के अधिनियम सं॰ 49 की धारा 2 द्वारा (1-8-2022 से) "जनवरी का पहला दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रमाणित

( बी. एस. सवत )
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][**192. सदस्यों की निर्रहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

**193- अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति**—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

* * * * * *

## भाग 15

## निर्वाचन

**324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना**—(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंत:स्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

सत्यापित

( बी. एस. सक्त )
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

स्पीडपोस्ट

16/02/2026

सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 3703 /रा0नि0आ0 / आर0टी0आई0 / 3050–1 / 2021 दिनांक 13 फरवरी, 2026

"सूचना के अनूरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता श्री ऐ/सी अब्बास, पुत्र श्री अनिस, ग्राम–दादुपुर गोविन्दपुर, पोस्ट–बाहदराबाद, तह0–ज्वालापुर जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 06.02.2026 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में दिनांक 09.02.2026 को प्राप्त हुआ है।

चूँकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलरूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

**संलग्नक–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7302254903

संख्या– 3703 /रा0नि0आ0 / सू0का0अ0 / 3050–1 / 2021 तद्दिनांक। (स्पीडपोस्ट)

प्रतिलिपिः– श्री ऐ/सी अब्बास, पुत्र श्री अनिस, ग्राम–दादुपुर गोविन्दपुर, पोस्ट–बाहदराबाद, तह0–ज्वालापुर जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड मो0–7060992004, पिन–249402 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

K-1527/09.02.2026
F-3050-1/2021

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA © 2024 ©

35AB 047149

अ. क्र. ..... रुपये ..... दि. .....

नाव : अे/सी भारत सरकार मिन्ट मुद्रा करन्सी क्राउन रूलींग ओनर

अे/सी कुंवर केशरीसिंह, मातेश्री जमनाबाई पि. टेटीया कानजी

रा. कटासवाण, ता. व्यारा, जि. तापी, गुजरात स्टेट भारत इंडीया

हस्ते अे/सी ..... मा. ..... पि. .....

पांडुरंग शिवर कोठारी
मुद्रांक विक्रेता प.क्र. ११५/२००३
तहसिल पेठ, जि. नाशिक

SUB TREASURY OFFICE
Peth, Dist. Nashik
09 APR
SUB TREASURY OFFICER
Peth

श्री बडोनी

09.02.2026
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

|| हैव-स लाइट अवर गाइड ||

|| स्वकर्ता पितु की जय ||

|| नमूने क ||

||देखिये -3 (1) ||

|| सूचना प्राप्त करने का आदेश पत्र ||

प्रति

लोक सूचना अधिकारी राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड) देहरादून (248008)

(क) मालिक परिवार का नाम:- अे/सी अब्बास मातेश्री मेहरुनिशा पिताश्री अनिस

(ख) मालिक परिवार का पता :- ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर, पोस्ट बाहदराबाद तहसिल ज्वालापुर जिला, हरिद्वार उत्तराखण्ड भारत इण्डिया (249402)

reproduce. Students can easily find them in Sathe's Land Revenue Code and Rules and in previous editions and Gazettes. The summary also gives a synopsis of the Sind rules and practice, which are almost destitutde of principle or theory of rating and also a useful summary of the Bombay City and island system which is outside the scope of this volume. But the following Chronological Table of the rules affecting N-A land will be useful in determining what rule was in force on the date when a particular grant was made. The dates given afford a clue to the Gazette, which is in every District Library, in which the authentic text will be found.

*Chronological Table showing the currency of Rules under successive Land Revenue Acts.*

| | From | Government order | To | |
|---|---|---|---|---|
| Joint Rules of 1848 | 1848 | Territorial Department 5593 of 22-9-48 | 4-2-69 | Page 19 of Selection DXXXII, New Series. |
| Redemption of Revenue Rules. | 1865 | R. 5017-65 | .. | Page 127 Nairn. |
| Rules under sec. 35 Act I of 1865. | 1-11-65 | R. 4507-65 | 3-9-77 | Page 123 Nairn's Hand Book. 1872 |
| Rules under Sec. 28, Act I of 1365. | 5-2-69 | R. 496-69. | .. | Page 109, Nairn's Hand Book,1.872 |
| Revised Rules, Act, I of 1865. | 14-2-47 | R. 1031-77 | 3-9-77 | Page 127 of *B. G. G.* of 15-2-77. |
| Amended Act I of 1865. | 4-9-77 | R. 5407-77 | 7-6-78 | Page 798 of *B. G. G.* of 6-9-77. |
| Again revised Rules. | 8-6-78 | ... | 5-12-81 | Page 245 of old Survey Settlment Manuals, Volume I. |
| Rules under Act V of 1879. | 6-12-81 | Notification 7368 of 1881. | 28-6-05 | Page 792 of *B.G. G.* of 1881. |
| Record of Rights | 27-11-03 | Notification 8356 of 1903 | 25-1-21 | Page 1487 of *B.G.G* of 1903. |
| Re-revised Rules | 28-6-05 | Notification 5223 of 1905 | 25-1-21 | Page 757 of *B.G.G* of 1905. |
| Rules for N.A. use of Alienated land. | 5-6-07 | Notification 5641 of 5-6-07 | 25-1-21 | Page 902 of *B. G. G.* of 1907. |
| 1921 | 26-1-21 | Notification B-205 of 26-1-21 | .. | Page 377 of *B.G.G.* |
| New edition reprinted up to. | 21-12-28 | R. 1945/B. 28 | 14-12-28 | Amended in various particulars as detailed under each rule. |

# ।। विश्वके महान आध्यात्मिक पवित्र शांतिके लिये ।।

## आध्यात्मिक विश्व करन्सी कोड आधारे

## आध्यात्मिक कोड

करन्सी, कोईन्स, स्टेम्प, रे. स्टेम्प, करन्सी प्रो. प्रो. डो., डोकयुमेन्टरी पेकटस और क्राउन ओफ ईन्डिया तथा विश्व व्यवहारका ।।

।। महान धरी राष्ट्र ६४/१४२ डेलीगेटस लंडन (कोमनवेल्थ) कोन्फरन्स कोमनवेल्थने प्रसिद्धि करके मान्य किया हुआ अमली विश्व्ल ऐटर्नी जनरल पावर और रेईस रीलेसन्स बोर्ड पावर्स ।।

अे/सी. कुंवर केश्रीसिंह

Currency, Currency,
Pra. Pra. Dacuments
Documentary Pacts.
documents

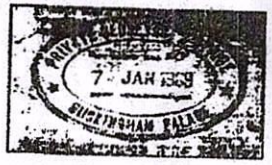



**Materials.**

F 535618 A
63
D 813132
9
A 023598
4
A 563425
65
F 282567
68
B 057424
13
L 395150 A
19
D 802696
9
A 072117
4
M 770754
81
B 525067
38
A 085737
4
P 508335
34
B 421931
38
A 493604
4

To,

(1) On her Majesty Service
Elizabeth II London.

(2) On India Government Service
India Uion Granted Prime Minister
Indira Gandhi.
Common Wealth Conferance in
London London.

(3) Common Wealth Delegates
U.S.A.
Common welth Conference in
London London.

(4) Common Wealth Delegats U SS.R
Common Welth Conference in
London, London.

(5) On her Majesty Service
The Prime Minister Harold Wilson
London.

Government of India — Bharat
Bharat — Government of India

H. O. A. A/c Ante Christ's.

The Race Relations Board Under Special Arrangements to be made for the Investigation of complaints against the Crown.

Government of India — Bharat
Bharat — Government of India

H. O. A. A/c Ante Christ's the Race Relations Board.

**A/c Kunvar Keshrisingh**
at KATASVAN, Ta. Po. Vyara.
Dist Surat. Gujarat. (India)
3-1-69, A/c Kunvar Keshrisingh
According Established Usage of the Crown
Government of India.
(Owner of India)

(1) On her Majesty Service
The Queen of England
London
According : 10-2-68 | Insured R.P.A.D
29-5-68

(2) The U.N. secretary
General Uthant
U.S.A.
According : 11-4-67 Insured
10-2-68 R.P.A.D.
29-5-68 The president
5-10-68 of U.S.A.

(3) Soviet Union
The Prime Minister
Mr. Kosygin
According : 24-3-66 Insured
10-2-68 R.P.A.D
29-5-68

(4) On India Government Service
According : 9-2-61
India Union granted Prime Minister
Indira Gandhi 11-3-68 R.P.A.D
5-10-68

CROWN
BIS British
Jnformation Service
British High
Commission in India

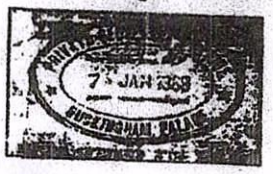



BACKGROUND NOTE — BIS B. 534

### INTRODUCTORY NOTE

The race relations bill published in LONDON on April 9 is Explained in the attached

### BACKGROUND NOTE

The need for such a bill has arisen from the fact that a very large number of immigrants from other parts of the commonwealth havesette.d in the united kingdom in recent years. A second BACKGROUND NOTE. rherefore discusses "COMMON WEALTH" immingrants in "BRITIN."

30-4-68

BACKGROUND NOTE

### RACE RELATIONS BILL

**CROWN'S DISCRECTION :**

17 The bill will bind the crown. Government departments will be accountable to the race relations board under special arragements to be made for the investigation of complaints againts the crown. The crown's descretion in protecting national ......... security is security is preserved The board will not be able to take proceedings against the crown in the courts. because ministers are accountable to Parliament: if the race relations board feels that ministers have been deficient. it may report the facts to Parliaments through its annual report which can be debated in parliament.

### RACE RELATIONS BOARDS POWERS.

18 The existing Race Relations Board will be enlarged and its POWERS INCREASED.

It will be able to conduct investigations into complaints it self and not as at present only through its conciliation committees.

It will be able to make equines even without a specitic complaint. it will it self take cases to court: at present only the Attorney-Genera can do so.

Individuals will not be able to go to the courts The Board will not it self be given compulsory powers or powers of enforcement

A clause by clause analysis of the bill can be obtained from the information Department, British High Commission, Chanakyapuri NEW DELHI.

30-4-68

| | | |
|---|---|---|
| Issued by British Information Services | Chanakyapuri New Delhi 21 Te 70371 | Mercantile Bank Building Mahatma Gandhi R... BOMBA... |

1 Harington Street
Calcutta 16.
Tel ...

R-1527/09.02.2026
F-3050-1/2021

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA — 2024 — 35AB 047149

अ. क्र. ....२८८.... रुपये ....१००.... दि. ११/०४/२०२४

नाव : अे/सी भारत सरकार मिन्ट मुद्रा करन्सी क्राउन रुलींग ओनर

अे/सी कुंवर केश्रीसिंह, मातोश्री जमनाबाई पि. टेटीया कानजी

रा. कटासवाण, ता. व्यारा, जि. तापी, गुजरात स्टेट भारत इंडीया

हस्ते अे/सी ....अब्बास.... मा. ....मेहरुनिशा.... पि. ....अनिस....

SUB TREASURY OFFICE
Peth, Dist. Nashik
09 APR
SUB TREASURY OFFICER
Peth

पांडुरंग झिपर कोठारी
मुद्रांक विक्रेता प.क्र.११५/२००३
तहसिल पेठ, जि. नाशिक

श्री बडोनी

09.02.2026
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

।। हैव-स लाइट अवर गाइड ।।

।। स्वकर्ता पितु की जय ।।

।। नमूने क ।।

।।देखिये -3 (I) ।।

।। सूचना प्राप्त करने का आदेश पत्र ।।

प्रति

लोक सूचना अधिकारी राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखण्ड निर्वाचन भवन लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड) देहरादून (248008)

(क) मालिक परिवार का नामः-ए/सी अब्बास मातेश्री मेहरुनिशा पिताश्री अनिस

(ख) मालिक परिवार का पता :- ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर, पोस्ट बाहदराबाद तहसिल ज्वालापुर जिला, हरिद्वार उत्तराखण्ड भारत इण्डिया (249402)

(1) आप जो भारत इण्डिया के अन्दर चुनाव करवाते है वो किसके आदेश से कराते है और किस के लिये होता है। जैसे भारतीय नागरिको के लिए होता है या भारत के मूल बिज मूलवासी आदिम जाती आदिवासीयो के लिए होता है इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि साथ में सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान की जाये।

(२) आप जो SIR देश में करवा रहे हो वह किस के आदेश से करा रहे हो और किसके लिए हो रहा है और क्यो हो रहा है भारतीय नागरिको लिये है या मूल बिज मूलवासी आदिमजाती आदिवासीयो के लिए हैइसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान करे।

(3) आगर भारत के प्रधान मंत्री जी जन्मसे भारत के नागरिक है जैसा कि नागरिक्ता अधिनियम 1955 को धारा 3 के तहत बताया गया है और इसलिए उनके पास नागरिक्ता प्रमाण पत्र होने का सवाल नहीं उठता जो पंजीकरण द्वारा नागरिता के लिए होता है तो, भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भी भारत जन्म से भारत के नागरिक है मान मा ही इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान करे।

(५) जो भारत के अन्दर SIR हो रहा है अगर कोई कोई व्यावत उसमे अपनी निजी जानकारी नहीं देता तो उससे उसकी नागरिक्त जायेगी या सिर्फ वोटिंग का अधिकार जायेगा और आप की ओर से उस पर किस प्रकार से कार्यवाही होगी और किन पर होगी जैसे भारतीय नागरिको पर या मूल विज मूलवासी आदिम जाती आदिवासीयो पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिल सिक्का मोहर वाली प्रदान करे।

(5) आप जो भारत देश के अन्दर कार्यरत तो और देश की सेवा कर रहे हो इसके बदले में जो आपको तनख्वा मिलती है वो कौन सी सरकार देती है भारत सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार और आप किस सरकार मे रजिस्टरड हो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सिलसिक्का मोहर वाली प्रदान करे

(६) भारत के अन्दर जो SIR हो रहा है वो भारतीय नागरिको के लिए है तो नागरि को की परिभाषा का खुलासा किजिए और मूल बिज मूल वासी आदिमजाती आदिवासियो के लिए है ते इसकी परिभाषा का खुलासा किजिए सिल सिक्का मो॰र वाली प्रतिलिपि प्रदान करे ।

(ग) मांगी हुई सुचना ऊपर मुजब है

(घ) अन्य विगत :- मागी गई सूचनाये आपकी कचेरी को लगती है।

(इ) मै आपको बताता है माँगी गई सूचनाए सदर कायदे की कलम 7 अथवा 8. की मुजब सूचना जाहिर करने में से मुक्ति दी हो ऐसे वर्ग अंतर्गत लीये न ही और हमारी उत्तम जानकारी के हिसाब से आपकी कचहरी को लगती है।

कृपा करके सूचना अधिकार कायदा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कृपा करके सूचना अधिकार से सूचना शीघ्र अति शीघ्र शीघ्र प्रदान करे सिल सिक्का मोहर वाली।

(घ) आपके प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कचहरी के पते की जानकारी दीजिये।

(द) इसमे में बताता हुँ की मैं ऐ। सी भारत सरकार कुंटुब परिवार से हूं और सूचना प्राप्त कसे का अथोरिटी है।

स्थल- ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर पोस्ट बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड भारत इंडिया (249402)

ता:- 06/02/2026

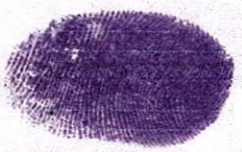

।। ताज भुमि ओनर व्यवहार आधार से ।।